रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 542] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 1977/पौष 1, 1899

No. 542] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 1977/PAUSA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 22nd December 1977

S.O. 849(E)/18FB/IDRA/77.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 826(E)/18FB/IDRA/76 dated the 23rd December, 1976 (hereinafter referred to as the said Order) the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operations of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order [other than the liabilities to the State Bank of India to the extent of the amount outstanding on the clean cash credit limit guaranteed by the Government of Maharashtra and the amounts drawn by the mill against the cash credit account (ordinary) to the extent these are covered in the current assets] to which the industrial undertaking known as Messrs Pulgaon Cotton Mills Limited, Pulgaon is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 22nd December, 1978

[No F.3/17/75-CUC]

G V. RAMAKRISHNA, Addl. Secy

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1977

का० आ० 849 (अ)/18चख/आई०डी०आर०ए०/77—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का० आ० 826(अ)/18चख/आई० डी० आर० ए०/76, तारीख 23 दिसम्बर, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यावस्थापनों, पचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (जो उन दायित्वों से, जो भारतीय स्टेट बैंक को उतनी रकम तक के दायित्वों से भिन्न है, जितनी रकम महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत स्पष्ट नकद-उधार सीमा (क्लीन कैश क्रेडिट लिमिट) पर बकाया है, और जो नगद उधार खाते (साधारण) [कैश क्रेडिट एकाउन्ट (आर्डिनरी)] में से मिल द्वारा, उस सीमा तक जिस सीमा तक वे चालू आस्तियों के अन्तर्गत आती है, निकाली गई धनराशि से भिन्न है), जिनका कि मैसर्स पुलगांव काटन मिल्स लिमिटेड, पुलगाव नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हों, प्रवर्तन उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तद्धीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अस्तित्वावधि एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अस्तित्वावधि 22 दिसम्बर, 1978 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, कि और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[स० फा० 3/17/75-सी०यू०सी०]

जी० वी० रामकृष्णा, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977